म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / उपविधि संशो. / 214 / 1933 भोपाल, दिनांक 13 / 12 / 2017

–:: आदेश ::–

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियो मे अधिसूचित कृषि उपजो की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, मण्डी समितियो के लिये लागू उपविधि सन् 2000 मे निम्नानुसार संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करे :–

क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
20(10)	(10) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मण्डी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिय प्रारूप–नौ में मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। अनुज्ञापत्र क्रमशः तीन रंग सफेद, हरा, गुलाबी में तीन प्रति (ट्रीपलीकेट) में तैयार किया जायेगा। सफेद प्रतिमूल प्रति होगी, हरी एवं गुलाबी प्रति निर्गमनकर्ता को दी जायेगी। हरी प्रति निर्गमनकर्ता अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा गुलाबी प्रति वाहन के साथ गंतव्य तक ले जाई जायेगी, गंतव्य यदि प्रदेश के किसी मण्डी क्षेत्र में स्थित है तब संबंधित मण्डी क्षेत्र के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। गंतव्य यदि प्रदेश के बाहर स्थित है तब यह प्रति सीमा जॉच चौकी पर जमा करा दी जायेगी। सीमा जॉच चौकी पर इनका मण्डीवार एवं व्यापारीवार हिसाब रखा जायेगा। कार्यालय की प्रति संबंधित व्यापारी की नस्ती में व्यवस्थित रूप से लगाई जायेगी।"परन्तु अनुज्ञापत्र मुद्रण के समय यदि हरे रंग एवं गुलाबी रंग का कागज उपलब्ध न हो तो ऐसी आकस्मिकता की दशा में आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक/उपसंचालक की पूर्व अनुमति से अनुज्ञापत्र की हरी प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर हरे रंग की स्याही एवं गुलाबी प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर गुलाबी रंग की स्याही से अनुज्ञापत्र मुद्रित करवाया जा सकेगा और ऐसा मुद्रित अनुज्ञापत्र क्रमशः अनुज्ञापत्र की हरी एवं गुलाबी प्रति के विकल्प के रूप में मान्य होगा। ऐसी परिस्थिति में मुद्रित करवाये गये	(10) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मण्डी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिये **संशोधित प्ररूप–नौ** में मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। अनुज्ञापत्र क्रमशः **चार रंग सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीला में चार प्रति में तैयार** किया जायेगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी, हरी एवं गुलाबी प्रति निर्गमनकर्ता को दी जायेगी। हरी प्रति निर्गमनकर्ता अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा गुलाबी प्रति वाहन के साथ गंतव्य/डिलीवरी क्रेता तक ले जाई जायेगी। **पीली अतिरिक्त प्रति जिसका प्रावधान प्रबंध संचालक के आदेश क्रमांक / बी–6 / 1–3 / उप / 126 / 156–157 दिनांक 31 जनवरी 2006 के द्वारा किया जाकर संबंधित जारीकर्ता मण्डी को अनुज्ञापत्र सत्यापन हेतु भेजकर अविलम्ब वापिस प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, वर्तमान मे ई–अनुज्ञा प्रणाली के अन्तर्गत ऑन–लाईन अनुज्ञा पत्र जारी होने एवं ऑन–लाईन ही सत्यापन होने की स्थिति मे, डिलीवरी क्रेता की दशा मे, प्रश्नाधीन पीली प्रति की उपयोगिता मे परिवर्तन कर अब इसे विक्रेता व्यापारी द्वारा (प्राथमिक) क्रेता व्यापारी को भेजा जावेगा।** गंतव्य यदि प्रदेश के किसी मण्डी क्षेत्र में स्थित है तब संबंधित मण्डी क्षेत्र के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। गंतव्य यदि प्रदेश के बाहर स्थित है तब यह प्रति सीमा जॉच चौकी पर जमा करा दी जायेगी। सीमा जॉच चौकी पर इनका मण्डीवार एवं व्यापारीवार हिसाब रखा जायेगा। कार्यालय की प्रति संबंधित व्यापारी की नस्ती में व्यवस्थित रूप से लगाई जायेगी।"परन्तु अनुज्ञापत्र मुद्रण के समय यदि

	अनुज्ञापत्रों की बुकों की संख्या एवं अनुक्रमांकों की जानकारी संबंधित संयुक्त संचालक/ उपसंचालक द्वारा प्रदेश के समस्त आंचलिक संयुक्त संचालकों/उपसंचालकों को तत्काल दी जायेगी। आंचलिक संयुक्त संचालक/ उपसंचालक अपने क्षेत्र की समस्त मंडी समितियों एवं अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को उक्त जानकारी तत्काल प्रेषित करेगें ताकि अनुज्ञापत्रों के रंग को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति निर्मित न हो।	हरे रंग,गुलाबी रंग, पीला रंग का कागज उपलब्ध न हो तो ऐसी आकस्मिकता की दशा में आंचलिक कार्यालय के संयुक्त/उप संचालक की पूर्व अनुमति से अनुज्ञापत्र की हरी प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर हरे रंग की स्याही, गुलाबी प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर गुलाबी रंग की स्याही, पीली प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर पीले स्याही से अनुज्ञापत्र मुद्रित करवाया जा सकेगा।ऐसा मुद्रित अनुज्ञापत्र कमशः अनुज्ञापत्र की हरी, गुलाबी एवं पीली प्रति के विकल्प के रूप में मान्य होगा। ऐसी परिस्थिति में मुद्रित करवाये गये अनुज्ञापत्रों की बुकों की संख्या एवं अनुकमांकों की जानकारी संबंधित संयुक्त/उपसंचालक द्वारा प्रदेश के समस्त आंचलिक संयुक्त/उपसंचालकों को तत्काल दी जायेगी। आंचलिक संयुक्त/ उपसंचालक अपने क्षेत्र की समस्त मंडी समितियों एवं अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को उक्त जानकारी तत्काल प्रेषित करेगें ताकि अनुज्ञापत्रों के रंग को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति निर्मित न हो।
	"(क) अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएं कि संबंधित द्वारा विक्रेताओं को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है अर्थात् उसके विरूद्व किसी विक्रेता की भुगतान न होने संबंधी शिकायत लंबित नहीं है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाएं कि निर्गमित की जाने वाली कृषि उपज पर देय मण्डी फीस निराश्रित सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि मण्डी फीस पक्ष में जमा होना है किन्तु इसके पूर्व ही कृषि उपज का निर्गमन किया जाना है तब निर्गमन के पूर्व फीस जमा करा ली जावेगी एवं इसका उल्लेख पाक्षिक विवरण में किया जाएगा। परन्तु यदि गंतव्य प्रदेश के बाहर का है तो निर्गमनकर्ता द्वारा अधिकतम 72 घंटे की कालावधि में अधिसूचित कृषि उपजों का परिवहन किया जाकर अनुज्ञापत्र संबंधित सीमा जांच चौकी पर प्रस्तुत/जमा करना अनिवार्य है। नियत कालावधि के उपरांत अधिसूचित कृषि उपज के सीमा जांच चौकी से निर्गमन हेतु निर्गमनकर्ता को संबंधित मंडी समिति (जिसके मंडी क्षेत्र में संबंधित जांच चौकी स्थापित है) केसमक्ष परिवहन में विलंब के कारणों को प्रमाणित करते हुये आयवश्क दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। संबंधित मंडी	"(क) अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएं कि संबंधित द्वारा विक्रेताओं को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है अर्थात् उसके विरूद्व किसी विक्रेता की भुगतान न होने संबंधी शिकायत लंबित नही है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाएं कि निर्गमित की जाने वाली कृषि उपज पर देय मण्डी फीस निराश्रित सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि मण्डी फीस पक्ष में जमा होना है किन्तु इसके पूर्व ही कृषि उपज का निर्गमन किया जाना है तब निर्गमन के पूर्व फीस जमा करा ली जावेगी एवं इसका उल्लेख पाक्षिक विवरण में किया जाएगा। परन्तु यदि गंतव्य प्रदेश के बाहर का है तो निर्गमनकर्ता द्वारा अधिकतम 72 घंटे की कालावधि में अधिसूचित कृषि उपजों का परिवहन किया जाकर अनुज्ञापत्र संबंधित सीमा जांच चौकी पर प्रस्तुत/जमा करना अनिवार्य है।नियत कालावधि के उपरांत अधिसूचित कृषि उपज के सीमा जांच चौकी से निर्गमन हेतु निर्गमनकर्ता को संबंधित मंडी समिति (जिसके मंडी क्षेत्र में संबंधित जांच चौकी स्थापित है) केसमक्ष परिवहन में विलंब के कारणों को प्रमाणित करते हुये आयवश्क दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। संबंधित मंडी सचिव विलंब के लिये प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों एवं प्रमाणों का

	सचिव विलंब के लिये प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों एवं प्रमाणों का परीक्षण कर कारण सही पाये जाने पर अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की अनुमति अंकित करते हुये हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित करेगा। जांच चौकी प्रभारी विलंब से परिवहन वाले ऐसे वाहनों की निर्गमन पंजी में प्रविष्टि के साथ विशेष रिमार्क अंकित कर हस्ताक्षर करेगा। (ख) निर्गमनकर्ता अधिसूचित कृषि उपज को निर्गमित करने के लिए प्रारुप–दस में तीन प्रति में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। इसकी एक प्रति कार्यालय में रखी जाकर दो प्रतियां अनुज्ञापत्र के साथ वापिस की जायेगी, इसमें से एक प्रति सीमा जांच चौकी पर अनुज्ञापत्र के साथ जमा करनी होगी।	परीक्षण कर कारण सही पाये जाने पर अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की अनुमति अंकित करते हुये हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित करेगा। जांच चौकी प्रभारी विलंब से परिवहन वाले ऐसे वाहनों की निर्गमन पंजी में प्रविष्टि के साथ विशेष रिमार्क अंकित कर हस्ताक्षर करेगा। (ख) निर्गमनकर्ता अधिसूचित कृषि उपज को निर्गमित करने के लिए **संशोधित प्ररुप–दस** में तीन प्रति में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। इसकी एक प्रति कार्यालय में रखी जाकर दो प्रतियां अनुज्ञापत्र के साथ वापिस की जायेगी, इसमें से एक प्रति सीमा जांच चौकी पर अनुज्ञापत्र के साथ जमा करनी होगी।
20(11)	मण्डी फीस, दाण्डिक प्रावधानः– कृषि उपज को मण्डी फीस भुगतान के बिना बेच दिया जाये अथवा मण्डी क्षेत्र के बाहर से वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में कय करके लाई गई कृषि उपज को उस मण्डी क्षेत्र के अनुज्ञापत्र को प्रस्तुत किये बगैर, जिस मण्डी क्षेत्र की कृषि उपज लाई गई है अथवा ऐसी कृषि उपज पर मण्डी फीस के भुगतान के बगैर कृषि उपज को बेच दिया जाये या प्रसंस्करण या विनिर्माण कर लिया जाये तो ऐसी दशा में यथास्थिति कृषि उपज के मूल्य 5 गुने मूल्य पर अथवा प्रसंस्कृत या विनिर्मित पदार्थ के 5 गुना बाजार मूल्य पर मण्डी फीस उदग्रहित तथा वसूल की जायेगी।	यथावत्
20(12)	प्रवेश शुल्कः– अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डी प्रांगण में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहन जो कि किराया (भाड़ा) पर चलते हो, उनसे न्यूनतम निम्न दरों से प्रवेश शुल्क वसूल किया जाएगा मंडी बढ़ा सकेगी।	यथावत्

क्र.	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन प्रवेश शुल्क	मासिक प्रवेश शुल्क	वार्षिक प्रवेश शुल्क
1	ट्रक	रू 05.00	रू0 125.00	रू01375.00
2	मेटाडोर	रू0 2.00	रू0 50.00	रू0 550.00
3	ट्रेक्टर ट्राली	रू0 2.00	रू0 50.00	रू0 550.00

	4	तीन पहिये आटो वाहन	रू0 2.00	रू0 30.00	रू0 550.00	
	5	बैलगाड़ी	रू0 1.00	रू0 25.00	रू0 275.00	
	6	हाथठेला	रू0 1.00	रू0 25.00	रू0 275.00	
	7	साईकल रिक्शा	रू0 1.00	रू0 25.00	रू0 275.00	
20(13)	व्यापारी द्वारा विक्रय की गई प्रत्येक कृषि उपज के निर्गमन के पूर्व अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक है। मण्डी फीस के भुगतान का प्रमाण मात्र अनुज्ञापत्र होगा। किसी अन्य अभिलेख को मण्डी फीस भुगतान का प्रमाण नहीं माना जावेगा।					यथावत्

मण्डी समिति मे सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपों को उपरोक्तानुसार संशोधित करने मे असफल रहने की स्थिति मे उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 28/12/2017 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।

संलग्न :—प्ररूप उपरोक्तानुसार

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / उपविधि संशो. / 214 / 1934 भोपाल, दिनांक 13 / 12 / 2017
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. अपर / संयुक्त म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। (समस्त)।
3 संचालक तकनीकी, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर म0प्र0, भोपाल की ओर उक्तानुसार संशोधन अनुसार ई–अनुज्ञा प्रणाली पोर्टल मे व्यवस्था करावे।
4 चीफ प्रोग्रामर (एम.आई.एस.) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही व पालनार्थ।
5 संयुक्त / उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / जबलपुर / सागर / रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।
6 अध्यक्ष / सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.............................जिला............................... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन ऑचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।

मण्डी समिति को विक्रेता व्यापारी द्वारा संशोधित प्ररूप–दस अनुसार प्राथमिक क्रेता के अतिरिक्त डिलीवरी क्रेता की स्थिति मे जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र प्ररूप–नौ मे सहज दृष्टव्य स्थान पर निम्नानुसार सील / मुद्रा लगाई जावे एवं यह प्रक्रिया वर्तमान मे ऑचलिक कार्यालयो / मण्डी समितियो मे उपलब्ध अनुज्ञापत्रो प्ररूप–नौ की बुको के उपलब्ध स्टॉक तक निरंतर जारी रहेगी।

1 / राज्य मे / राज्य के बाहर उपयोग हेतु अनुज्ञापत्रो मे।

गंतव्य / डिलिवरी क्रेता व्यापारी / फर्म / स्थान जहॉ कृषि उपज(विक्रय / प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –.. ....
........................जी0एस0टी पंजीयन क्रमांक.................................
मण्डी अनुज्ञप्ति / मान नम्बर...मण्डी समिति का नाम..........................जिला / प्रदेश..
....

2 / केवल राज्य मे उपयोग हेतु अनुज्ञापत्र मे।

(नोट– क्रेता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य / डिलिवरी क्रेता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं । यदि गंतव्य / डिलिवरी क्रेता व्यापारी द्वारा होलोग्राम युक्त गुलाबी वाहन प्रति को उपविधि कंडिका 20(4) के अनुसार 14 दिवस की विहित समयावधि मे मण्डी कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाकर, किसी अन्य को इस कृषि उपज का पुनः विक्रय किया जाता है तो केवल उस दशा में ही इस अनुज्ञापत्र से मण्डी फीस छूट का लाभ गंतव्य / डिलिवरी क्रेता द्वारा लिया जा सकेगा।)

3 / राज्य के बाहर उपयोग हेतु अनुज्ञापत्रो मे।

(नोट– क्रेता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य / डिलिवरी क्रेता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं ।)

7 गार्ड फाइल / एमआईएस शाखा / प्रांगण शाखा / लेखा शाखा / स्टोर शाखा।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्ररूप–दस

अनुज्ञापत्र हेतु घोषणा पत्र **संशोधित**

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा(6) एवं उपविधि 20(10) के अन्तर्गत)

1. कृषि उपज के स्वामी/व्यापारी का नाम ....

2. कृषि उपज के स्वामित्व संबंधी विवरण–

क– व्यापारी की दशा में

(एक) व्यापारी का जी0एस0टी पंजीयन क्रमांक..

(दो) मण्डी समिति की अनुज्ञप्ति क्रमांक ....मान नंबर..............................

(तीन) मण्डी समिति का नाम..............................जिला..............................

ख– व्यक्ति या उत्पादक की दशा में –

(एक)–गांव का नाम/तहसील/जिला –..............................(दो)–कुल कृषि भूमि का रकबा जो स्वामित्व में हो ....(तीन)– राजस्व ऋृण पुस्तिका नम्बर..............................

(उत्पादक की दशा में ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रमाण पत्र या ऋृण पुस्तिका के संबंधित भाग की छायाप्रति जिसमें उत्पादकद्वारा धारित कुल कृषि भूमि का उल्लेख हो ।)

3. **(एक)–क्रेता व्यापारी जिसको कृषि उपज विक्रय की जा रही है का नाम..............................**

(दो)– जी0एस0टी पंजीयन क्रमांक..............................मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..............................

(तीन)– मण्डी समिति का नाम..............................जिला/प्रदेश..............................

3 (क)

(एक)– गंतव्य/डिलिवरी क्रेता व्यापारी जिसको कृषि उपज विक्रय/भेजी जा रही है का नाम..............................

(दो)– जी0एस0टी पंजीयन क्रमांक..............................मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..............................

(तीन)– मण्डी समिति का नाम..............................जिला/प्रदेश..............................

4 **कृषि उपज का विवरण–**

(एक)–कृषि उपज का नाम..............................किस्म..............................

(दो)–मात्रा(नग)..............................(तीन)वजन(क्विं)..............................

(चार)–कृषि उपज का मूल्य..............................

(पांच) व्यापारी द्वारा जारी इन्वाईस क्रमांक..............................दिनांक..............................

(छः)परिवहन/ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम और पता/स्वामी का नाम..............................

(सात) जमा मण्डी फीस रसीद क्रमाक ....दिनांक..............................देय मण्डी फीस..............................

(आठ) अनुज्ञापत्र का विवरण.– अनुज्ञापत्र क्र0..............................दिनांक ....मण्डी का नाम..............................

(नौ) प्रांरभिक स्टॉक..............................शेष स्कंध..............................

(दस) वाहन क्रमांक..............................

मैं..............................(कृषि उपज के स्वामी का नाम)एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी से सत्य है । अतः अनुज्ञापत्र प्रदाय करने का कष्ट करें ।

दिनांक.............................. स्वामी के हस्ताक्षर एवं उसकी स्थिति

स्थान..............................

फर्म या कम्पनी या व्यापारी की दशा में मुद्रा

सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...
(कृषि उपज के स्वामी का नाम) इस पंचायत के अन्तर्गत ग्राम ....
तहसील...जिला...का किसान(उत्पादक) है,वह स्वंय के स्वामित्व की कृषि उपज को राज्य के अन्दर/बाहर की मण्डी में भेज रहा है ।

सरपंच के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

ग्राम पंचायत का नाम...

तहसील...

जिला...

मूल प्रति

सफेद रंग

"केवल राज्य में उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति..................................

जिला कोड....................मण्डी कोड.......................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक कमांक...........................पृष्ठ कमांक...दिनांक..

1 कृषि उपज का नाम...किस्म..

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या...............कुल वजन(क्विं)....................शब्दों में ....क्वि

3 कृषि उपज के स्वामी/विकेता का नाम...

4 वाहन का प्रकार... वाहन कमांक..

5 वाहन चालक का नाम..

6 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण..

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति कमांक.. कुल लाई गई मात्रा..

कृषि उपज का विवरण.. वापसी ले जायी गई मात्रा......................................

कय दिनांक.. वापसी ले जाने का कारण......................................

कुल कय मात्रा(क्वि)..................व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वजन(क्वि)....................

केताव्यापारी /फर्म /स्थान ,जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से ले जायी जानी है का नाम–............

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक........................

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर.....................................मण्डी समिति का नाम..........................जिला...

गंतव्य/डिलिवरी केताव्यापारी /फर्म /स्थान जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –...जी0एस0टी पंजीयन कमांक..

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर...मण्डी समिति का नाम......................जिला.....................

(नोट– केता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी केता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं । यदि गंतव्य/डिलिवरी केता व्यापारी द्वारा होलोग्राम युक्त गुलाबी वाहन प्रति को उपविधि कंडिका 20(4) के अनुसार 14 दिवस की विहित समयावधि मे मण्डी कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाकर, किसी अन्य को इस कृषि उपज का पुनः विकय किया जाता है तो केवल उस दशा में ही इस अनुज्ञापत्र से मण्डी फीस छूट का लाभ गंतव्य/डिलिवरी केता द्वारा लिया जा सकेगा।)

मै प्रमाणित करता हूँ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विकेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विकता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान................................ ....

दिनांक..............................समय................................ सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है

व्यापारी प्रति

हरा रंग

"केवल राज्य में उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति.....................................

जिला कोड.....................मण्डी कोड......................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक कमांक..............................पृष्ठ कमांक...दिनांक...

1 कृषि उपज का नाम..किस्म..

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या...............कुल वजन(क्विं)....................शब्दों में ....क्वि

3 कृषि उपज के स्वामी/विकेता का नाम..

4 वाहन का प्रकार.. वाहन कमांक...

5 वाहन चालक का नाम...

6 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण..

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति कमांक.. कुल लाई गई मात्रा...

कृषि उपज का विवरण... वापसी ले जायी गई मात्रा..

कय दिनांक.. वापसी ले जाने का कारण...

कुल कय मात्रा(क्वि)..................व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वजन(क्वि)...................

केताव्यापारी /फर्म /स्थान ,जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से ले जायी जानी है का नाम–...........

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक........................

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..................................मण्डी समिति का नाम..........................जिला...

गंतव्य/डिलिवरी केताव्यापारी /फर्म /स्थान जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –...जी0एस0टी पंजीयन कमांक...

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर...मण्डी समिति का नाम......................जिला....................

(नोट– केता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी केता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं । यदि गंतव्य/डिलिवरी केता व्यापारी द्वारा होलोग्राम युक्त गुलाबी वाहन प्रति को उपविधि कंडिका 20(4) के अनुसार 14 दिवस की विहित समयावधि मे मण्डी कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाकर, किसी अन्य को इस कृषि उपज का पुनः विकय किया जाता है तो केवल उस दशा में ही इस अनुज्ञापत्र से मण्डी फीस छूट का लाभ गंतव्य/डिलिवरी केता द्वारा लिया जा सकेगा।)

मै प्रमाणित करता हूॅ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विकेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विकता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान...............................

दिनांक...............................समय...

....

सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है

वाहन प्रति

गुलाबी रंग

"केवल राज्य में उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति..................................

जिला कोड....................मण्डी कोड......................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक कमांक..............................पृष्ठ कमांक...दिनांक..

1 कृषि उपज का नाम...किस्म..

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या...............कुल वजन(क्विं)...................शब्दों में ....क्वि

3 कृषि उपज के स्वामी/विकेता का नाम..

4 वाहन का प्रकार.. वाहन कमांक...

5 वाहन चालक का नाम...

6 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण..

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति कमांक.. कुल लाई गई मात्रा...

कृषि उपज का विवरण.. वापसी ले जायी गई मात्रा...................................

कय दिनांक.. वापसी ले जाने का कारण.....................................

कुल कय मात्रा(क्वि)..................व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वजन(क्वि)....................

केताव्यापारी /फर्म /स्थान ,जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से ले जायी जानी है का नाम–...........

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक.......................

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर.......................................मण्डी समिति का नाम.........................जिला...............................

गंतव्य/डिलिवरी केताव्यापारी /फर्म /स्थान जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –...जी0एस0टी पंजीयन कमांक.....................................

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..मण्डी समिति का नाम......................जिला....................

(नोट– केता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी केता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं । यदि गंतव्य/डिलिवरी केता व्यापारी द्वारा होलोग्राम युक्त गुलाबी वाहन प्रति को उपविधि कंडिका 20(4) के अनुसार 14 दिवस की विहित समयावधि मे मण्डी कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाकर, किसी अन्य को इस कृषि उपज का पुनः विकय किया जाता है तो केवल उस दशा में ही इस अनुज्ञापत्र से मण्डी फीस छूट का लाभ गंतव्य/डिलिवरी केता द्वारा लिया जा सकेगा।)

मै प्रमाणित करता हूॅ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विकता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान.................................. ....

दिनांक...............................समय.................................. सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है

केताव्यापारी/अतिरिक्त प्रति

पीला रंग

"केवल राज्य में उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति....................................

जिला कोड....................मण्डी कोड.....................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक कमांक............................पृष्ठ कमांक..दिनांक..

1 कृषि उपज का नाम...किस्म...

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या..............कुल वजन(क्विं).....................शब्दों में ....क्वि

3 कृषि उपज के स्वामी/विकेता का नाम..

4 वाहन का प्रकार.. वाहन कमांक...

5 वाहन चालक का नाम...

6 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण...

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति कमांक... कुल लाई गई मात्रा..

कृषि उपज का विवरण... वापसी ले जायी गई मात्रा...................................

कय दिनांक... वापसी ले जाने का कारण....................................

कुल कय मात्रा(क्वि).................व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वजन(क्वि)..................

केताव्यापारी /फर्म /स्थान ,जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से ले जायी जानी है का नाम–...........

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक.......................

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर.....................................मण्डी समिति का नाम.........................जिला..............................

गंतव्य/डिलिवरी केताव्यापारी /फर्म /स्थान जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –...जी0एस0टी पंजीयन कमांक.......................................

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर.......................................मण्डी समिति का नाम......................जिला.....................

(नोट– केता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी केता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं । यदि गंतव्य/डिलिवरी केता व्यापारी द्वारा होलोग्राम युक्त गुलाबी वाहन प्रति को उपविधि कंडिका 20(4) के अनुसार 14 दिवस की विहित समयावधि मे मण्डी कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाकर, किसी अन्य को इस कृषि उपज का पुनः विकय किया जाता है तो केवल उस दशा में ही इस अनुज्ञापत्र से मण्डी फीस छूट का लाभ गंतव्य/डिलिवरी केता द्वारा लिया जा सकेगा।)

मै प्रमाणित करता हूॅ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विकेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विकता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान.................................

....

दिनांक..............................समय...............................

सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है

मूल प्रति

गुलाबी रंग

"केवल राज्य के बाहर उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति..................................

जिला कोड..................मण्डी कोड......................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक कमांक..पृष्ठ कमांक..दिनांक..........................

1 कृषि उपज का नाम..किस्म..

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या..............................कुल वजन(क्वि)..............................शब्दों में ....क्वि

7 कृषि उपज के स्वामी/विकेता का नाम..

8 वाहन का प्रकार.. वाहन कमांक..

9 वाहन चालक का नाम..

10 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण..

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति कमांक.. कुल लाई गई मात्रा..

कृषि उपज का विवरण.. वापसी ले जायी गई मात्रा..

कय दिनांक.. वापसी ले जाने का कारण..

कुल कय मात्रा (क्वि)..व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वनज(क्वि)....................

केता व्यापारी /फर्म /स्थान ,जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से ले जायी जानी है का नाम–..

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक..

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..............................मण्डी समिति का नाम..............................जिला..............................

गंतव्य/डिलिवरी केता व्यापारी /फर्म /स्थान जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –..........................

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक..

जिला.. प्रदेश का नाम..

(नोट– केता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी केता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं।)

मै प्रमाणित करता हूॅ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विकेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विकता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान.............................. ....

दिनांक..............................समय.............................. सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है

व्यापारी प्रति

हरा रंग

"केवल राज्य के बाहर उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति.................................

जिला कोड..................मण्डी कोड.....................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक क्रमांक..पृष्ठ क्रमांक..दिनांक..........................

1 कृषि उपज का नाम..किस्म...

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या...............................कुल वजन(क्विं).................................शब्दों में ....क्वि

11 कृषि उपज के स्वामी/विक्रेता का नाम...

12 वाहन का प्रकार.. वाहन क्रमांक...

13 वाहन चालक का नाम..

14 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण...

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति क्रमांक.. कुल लाई गई मात्रा.. ....

कृषि उपज का विवरण.. वापसी ले जायी गई मात्रा...

क्रय दिनांक.. वापसी ले जाने का कारण...

कुल क्रय मात्रा (क्विं)...व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वनज(क्विं)....................

क्रेता व्यापारी /फर्म /स्थान ,जहॉ कृषि उपज(विक्रय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से ले जायी जानी है का नाम–......................................

....जी0एस0टी पंजीयन क्रमांक..

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..मण्डी समिति का नाम...................................जिला...

गंतव्य/डिलिवरी क्रेता व्यापारी /फर्म /स्थान जहॉ कृषि उपज(विक्रय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –......................

....जी0एस0टी पंजीयन क्रमांक..

जिला.. प्रदेश का नाम...

(नोट– क्रेता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी क्रेता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं ।)

मै प्रमाणित करता हूँ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विक्रता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान.................................. ....

दिनांक................................समय....................................

सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है

वाहन प्रति

सफेद रंग

"केवल राज्य के बाहर उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति..................................

जिला कोड...................मण्डी कोड.....................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक कमांक..पृष्ठ कमांक..दिनांक..................................

1 कृषि उपज का नाम..किस्म..

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या...कुल वजन(क्वि)...............................शब्दों में ....क्वि

15 कृषि उपज के स्वामी/विक्रेता का नाम..

16 वाहन का प्रकार... वाहन कमांक..

17 वाहन चालक का नाम...

18 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण...

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति कमांक.. कुल लाई गई मात्रा.. ....

कृषि उपज का विवरण.. वापसी ले जायी गई मात्रा...

कय दिनांक... वापसी ले जाने का कारण..

कुल कय मात्रा (क्वि)...व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वनज(क्वि)...................

केता व्यापारी /फर्म /स्थान ,जहाँ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से ले जायी जानी है का नाम–..

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक...

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..मण्डी समिति का नाम......................................जिला.........................

गंतव्य/डिलिवरी केता व्यापारी /फर्म /स्थान जहाँ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम –.....................

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक...

जिला.. प्रदेश का नाम...

(नोट– केता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी केता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं ।)

मै प्रमाणित करता हूँ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विकेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विकता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान...............................

दिनांक..............................समय...................................

....

सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है

केता व्यापारी/अतिरिक्त प्रति

पीला रंग

"केवल राज्य के बाहर उपयोग हेतु" प्ररूप–9 संशोधित

अनुज्ञा–पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति..................................

जिला कोड..................मण्डी कोड....................

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक कमांक..............................पृष्ठ कमांक..............................दिनांक..............................

1 कृषि उपज का नाम..............................किस्म..............................

2 कृषि उपज की मात्रा–नग संख्या..............................कुल वजन(क्विं)..............................शब्दों में ....क्वि

19 कृषि उपज के स्वामी/विकेता का नाम..............................

20 वाहन का प्रकार.............................. वाहन कमांक..............................

21 वाहन चालक का नाम..............................

22 जमा की गई मण्डी फीस/अनुज्ञापत्र का विवरण..............................

व्यापारी के लिये **कृषकों के लिये**

अनुज्ञप्ति कमांक.............................. कुल लाई गई मात्रा..............................

कृषि उपज का विवरण.............................. वापसी ले जायी गई मात्रा..............................

कय दिनांक.............................. वापसी ले जाने का कारण..............................

कुल कय मात्रा (क्वि)..............................व्यापारी के पास इस अनुज्ञापत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वनज(क्वि)..............................

केता व्यापारी /फर्म /स्थान ,जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्‌देश्य से ले जायी जानी है का नाम–..............................

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक..............................

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर..............................मण्डी समिति का नाम..............................जिला..............................

गंतव्य/डिलिवरी केता व्यापारी /फर्म /स्थान जहॉ कृषि उपज(विकय/प्रोसेसिंग) के उद्‌देश्य से भेजी जाना है का नाम –..............................

....जी0एस0टी पंजीयन कमांक..............................

जिला.............................. प्रदेश का नाम..............................

(नोट– केता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञापत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी केता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया हैं ।)

मै प्रमाणित करता हूॅ(व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विकेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रिम सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

....

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है, मैने भलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विकता को किया जा चुका है । तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ।

स्थान..............................

....

दिनांक..............................समय..............................

सक्षम मण्डी कर्मचारी

हस्ताक्षर/सील

नोट–समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है